न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –365/2022
अनवान : –

1. हाकम अली पुत्र सदीक जाति कलाल निवासी नोहर तहसील नोहर –फौत

   1/1. किरण पत्नी स्व0 हाकम अली टाक जाति कलाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/2. तनु टाक पुत्री स्व0 हाकम अली टाक जाति कलाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/3. अमन टाक पुत्री स्व0 हाकम अली टाक जाति कलाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–असल प्रतिवादी

2. अशक अली पुत्र सदीक खां जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. सलीम टाक पुत्र सतारदीन जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर
4. संजु उर्फ शबाना पुत्री सतारदीन जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर
5. युनूस टाक पुत्र सतारदीन जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर
6. याकूब टाक पुत्र सतारदीन जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक: 27/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अ[illegible]955 के [illegible] आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 26 एन.टी.आर. तहसील [illegible]/128 के प.न. 326/442 मु.न. 49 के किला नं. 18 की 0.2530 हैक[illegible]क्टर, 22 की 0.25[illegible]क्टर, 23 की 0.2530 हैक्टर, कुल 4 किता की 1.0120 हैक्टर प.न. [illegible]26/423 मु.न. 50 [illegible] नं. 2/1 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.0260 हैक्टर, 2/2 की 0.2270 हैक्टर किला नं. 3/1 की 0.0250 हैक्टर, 3/2 की 0.2280 हैक्टर, 8 की 0.2530 हैक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर, 10 की 0.2530 हैक्टर, भूमि कुल 11 किता की नहरी 2.2260 हैक्टर गै.मु. रास्ता 0.0510 हैक्टर भूमि कुल 11 खसरेजात की 2.2770 हैक्टर भूमि स्थित है।

वाद भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 2 तथा प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 के पिता के पक्ष में बहनो मैना देवी व मैमुना व सीमा ने स्वंय का हिस्सा व माता जोरा खातुन के हिस्सा की आई भूमि में अपने हक व हिस्सा की दस्तबरदारी दिनांक 28/06/2012 को करवा दी थी, जिससे वादी 1/3 हिस्सा का तरतीबी प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 सयुक्ततः 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 की खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में भारत सरकार दर्ज है जमाबन्दी हाल में भारत सरकार के नाम दर्ज रहने से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है चूंकि वाद भूमि का कब्जा काश्त पूर्नवास विभाग कस्टोडियन विभाग कर वक्त आवंटन विरेन्द्रमल पुत्र देवामल जाति सिन्धी साकिन नोहर को कब्जा काश्त सौंपा गया था विरेन्द्रपाल पुत्र देवामल जाति सिन्धी निवासी नोहर ने ख.न. 907/377 की 30 बीघा 2 बिस्वा किमतन सदीक पुत्र महताब खां जाति कलाल साकिन नोहर को 16 बीघा 10 बिस्वा हबीब खां वल्द महताब खां को 13.12 बीघा दिनांक 15/7/1960 को जरिये रजिस्ट्रड वैयनामा वैचान कर दी तथा कब्जा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता सदीक व हबीब पि. महताब खां जाति कलाल निवासी नोहर को कब्जा काश्त वरवक्त बैयनामा सन् 1960 को सम्भला दिया गया जिसकी दिनांक 15/07/1960 को तहरीर भी अलग से निष्पदित करवा दी गई तथा नामान्तरण वादी व तरतीची प्रतिवादीगण उनकी माता व बहनो के नाम दर्ज हो गया माता व बहनो ने वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में दस्तबरदारी दिनांक 28/06/2012 को करवा दी इसलिए वादीगण 1/3 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 2 अकेला 1/3 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 सयुक्ततः 1/3 हिस्सा भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड से राष्ट्रपति भारत सरकार कलमजन करवापाने के अधिकारी है उपरोक्त आश्यो की वादी घोषणा करापाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा कि वो याद भूमि में राष्ट्रपति भारत सरकार कलमजन करके वादीगण [illegible] 2 प्रतिवादी सं. 3 ता 6 सयुक्ततः को खातेदार काश्तकार तस्लीम कर [illegible] तरतीबी प्रतिवादी सं. 2 व 3 ता 6 को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड [illegible] करा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी आजकल – आजकल करते किन्त अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मत्यु प्रमाण पत्र हाकम अली, सदस्य प्रमाण पत्र, दस्बरदारी दिनांक 28.06.2012 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 की खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में भारत सरकार दर्ज है जमाबन्दी हाल में भारत सरकार के नाम दर्ज रहने से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है चूंकि वाद भूमि का कब्जा काश्त पूर्नवास विभाग कस्टोडियन विभाग कर वक्त आवंटन विरेन्द्रमल पुत्र देवामल जाति सिन्धी साकिन नोहर को कब्जा काश्त सौपा गया था विरेन्द्रपाल पुत्र देवामल जाति सिन्धी निवासी नोहर ने ख.न. 907/377 की 30 बीघा 2 बिस्वा किमतन सदीक पुत्र महताब खां जाति कलाल साकिन नोहर को 16 बीघा 10 बिस्वा हबीब खां वल्द महताब खां को 13.12 बीघा दिनांक 15/7/1960 को जरिये रजिस्ट्रड वैयनामा वैचान कर दी तथा कब्जा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता सदीक व हबीब पि. महताब खां जाति कलाल निवासी नोहर को कब्जा काश्त वरवक्त बैयनामा सन् 1960 को सम्भला दिया गया जिसकी दिनांक 15/07/1960 को तहरीर भी अलग से निष्पदित करवा दी गई तथा नामान्तरण वादी व तरतीची प्रतिवादीगण उनकी माता व बहनो के नाम दर्ज हो गया माता व बहनो ने वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में दस्तबरदारी दिनांक 28/06/2012 को करवा दी इसलिए वादीगण 1/3 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 2 अकेला 1/3 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 सयुक्ततः 1/3 हिस्सा भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड से राष्ट्रपति भारत सरकार कलमजन करवापाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषक[illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया ग[illegible]रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत[illegible] स0 135/128 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज है वादी द्वारा राष्ट्रपति भारत सरकार कलमजन करवाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

यह वाद पेश किया गया है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि विरेन्द्रमल पुत्र देवामल जाति सिंधी को आवंटीत हुई थी एवं विरेन्द्रमल पुत्र देवामल द्वारा दिनांक 15.07.1960 को हबीबखा वल्द महता खां के पक्ष मे 13.12 बीघा भूमि का बैयनामा किया गया था वादी द्वारा मौखिक का कथन किया गया है लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज आवंटन व रजिस्टर्ड बैयनामा पेश नही किया गया है केवल मौखिक कथन के आधार पर वादी न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....27/10/25.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –365 / 2022

अनवान : –

1. हाकम अली पुत्र सदीक जाति कलाल निवासी नोहर तहसील नोहर –फौत

   1/1. किरण पत्नी स्व0 हाकम अली टाक जाति कलाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/2. तनु टाक पुत्री स्व0 हाकम अली टाक जाति कलाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

   1/3. अमन टाक पुत्री स्व0 हाकम अली टाक जाति कलाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–असल प्रतिवादी

2. अशक अली पुत्र सदीक खां जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. सलीम टाक पुत्र सतारदीन जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर
4. संजु उर्फ शबाना पुत्री सतारदीन जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर
5. युनूस टाक पुत्र सतारदीन जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर
6. याकूब टाक पुत्र सतारदीन जाति टाक निवासी नोहर तहसील नोहर

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 365 सन 2022 निर्णय दिनांक 27/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..27/10/25.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:19:15 IST
Reason: SelfAttested